

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/2584 दिनांक 01.08.2025 एवं पत्र क्रमांक प.7(2)(9)पंचा/रानिआ/2025/2541 दिनांक 31.07.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त हुए पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के पदों पर संलग्न सूची अनुसार उप-चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगरीय निकाय, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान की तिथि 21.08.2025 (गुरुवार) को घोषित की गई है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के उक्त नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में (संलग्न सूची अनुसार) मतदान की तिथि 21.08.2025 (गुरुवार) को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हरीश लड्डा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. सम्बन्धित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक/मुम्बई/नागपुर/दिल्ली, जयपुर।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।

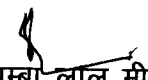
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/2882

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) धौलपुर, झुन्झुनू एवं राजसमन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 19/8/25


(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव